डिक्री मुकदमा इब्तदाई फाईनल

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपजिला कलेक्टर वमुकाम टोडाभीम

व इजलास जगदीश आर्य (आर0ए0एस0)

उनवान

1. हरिराम पुत्र नादान
2. बलराम पुत्र नादान जाति गुर्जर निवासी पेचला तहसील टोडाभीम जिला करौली

–वादीगण

विरूद्ध

तहसीलदार तहसील टोडाभीम – प्रतिवादी

दावा बाबत् इन्द्राज दुरस्ती रिकार्ड जमाबंदी

अन्तर्गत धारा 88 राज0टे0एक्ट व धारा 136 राज0ले0रे0एक्ट

उपजिला कलेक्टर (करौली) राज0

मुकदमा नं0 दावा – 61/16

तारीख रजू – 4/7/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट वादीगण मिनकानिब गुदई रूबरू हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी बाबत् इन्द्राज दुरस्ती नाम डिग्रि किया जाकर भूमि खाता सं0 खाता सं0 89 मे वर्णित खसरा नं0 74/913 रकवा 0.12 हेक्टयर, 153 रकवा 0.02 हेक्टयर, 154 रकवा 0.02 हेक्टयर, 166 रकवा 0.04 हेक्टयर, 211 रकवा 0.55 हेक्टयर, 212 रकवा 0. 13 हेक्टयर, 213 रकवा 0.48 हेक्टयर, 219 रकवा 0.02 हेक्टयर, 220 रकवा 0.02 हेक्टयर, 254 रकवा 0.01 हेक्टयर, 255 रकवा 0.19 हेक्टयर, 256 रकवा 0.38 हेक्टयर, 257 रकवा 0.49 हेक्टयर, 260 रकवा 0.34 हेक्टयर, 261 रकवा 0.34 हेक्टयर, 415 रकवा 1.05 हेक्टयर, 416 रकवा 0.60 हेक्टयर, 417 रकवा 1.84 हेक्टयर, 452 रकवा 0.17 हेक्टयर, 543 रकवा 0.35 हेक्टयर, 584 रकवा 0.09 हेक्टयर, 585 रकवा 0.47 हेक्टयर, 586 रकवा 0.09 हेक्टयर, 587 रकवा 0.06 हेक्टयर, 588 रकवा 0.03 हेक्टयर, 589 रकवा 0.14 हेक्टयर, 649 रकवा 0.14 हेक्टयर, 650 रकवा 0.45 हेक्टयर, 651 रकवा 0.33 हेक्टयर, 696 रकवा 0.20

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

4

हेक्टयर, 697 रकवा 0.43 हेक्टयर, 722 रकवा 0.20 हेक्टयर, 781 रकवा 0.05 हेक्टयर, 787 रकवा 0.04 हेक्टयर, 790 रकवा 0.27 हेक्टयर, 827 रकवा 0.23 हेक्टयर, 846 रकवा 0.06 हेक्टयर, 862 रकवा 0.15 हेक्टयर कुल किता 38 कुल रकवा 10.59 हेक्टयर स्थित ग्राम पेचला तहसील टोडाभीम मे वर्णित भूमि मे दर्ज नाम हरिया पुत्र बादाम के स्थान पर हरिराम पुत्र नादान, बल्ले पुत्र बादाम के स्थान पर बलराम पुत्र नादान दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा नायब तहसीलदार बालघाट को उक्त निर्णय की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावें।

निज .... मुबलिग .... बाबत् ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.02.2017 को जारी की गई।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

दस्तखत ....

मुहर

ओहदा ....

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दाबा			स्टाम्प अर्जी दाबा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजय सवूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकि के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज कराना चाहिए।

Scanned by CamScanner

5

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

मुकदमा नं0 दावा – 61/16

तारीख रजू – 4/7/16

पीठासीन अधिकारी

जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

उनवान

1. हरिराम पुत्र नादान
2. बलराम पुत्र नादान जाति गुर्जर निवासी पेचला तहसील टोडाभीम जिला करौली

–वादीगण

विरूद्ध

– प्रतिवादी

तहसीलदार तहसील टोडाभीम

दावा बाबत् इन्द्राज दुरस्ती रिकार्ड जमाबंदी

अन्तर्गत धारा 88 राज0टे0एक्ट व धारा 136 राज0ले0रे0एक्ट

उपस्थिति–

श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट –पक्ष वादीगण

निर्णय दिनांक 11.02.2017

संक्षेप्त मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खाता सं0 89 मे वर्णित खसरा नं0 74/913 रकवा 0.12 हेक्टयर, 153 रकवा 0.02 हेक्टयर, 154 रकवा 0.02 हेक्टयर, 166 रकवा 0.04 हेक्टयर, 211 रकवा 0.55 हेक्टयर, 212 रकवा 0.13 हेक्टयर, 213 रकवा 0.48 हेक्टयर, 219 रकवा 0.02 हेक्टयर, 220 रकवा 0.02 हेक्टयर, 254 रकवा 0.01 हेक्टयर, 255 रकवा 0.19 हेक्टयर, 256 रकवा 0.38 हेक्टयर, 257 रकवा 0.49 हेक्टयर, 260 रकवा 0.34 हेक्टयर, 261 रकवा 0.34 हेक्टयर, 415 रकवा 1.05 हेक्टयर, 416 रकवा 0.60 हेक्टयर, 417 रकवा 1.84 हेक्टयर, 452 रकवा 0.17 हेक्टयर, 543 रकवा 0.35 हेक्टयर, 584 रकवा 0.09 हेक्टयर, 585 रकवा 0.47 हेक्टयर, 586 रकवा 0.09 हेक्टयर, 587 रकवा 0.06 हेक्टयर, 588 रकवा 0.03 हेक्टयर, 589 रकवा 0.14 हेक्टयर, 649 रकवा 0.14 हेक्टयर, 650 रकवा 0.45 हेक्टयर, 651 रकवा 0.33 हेक्टयर, 696 रकवा 0.20 हेक्टयर, 697 रकवा 0.43 हेक्टयर, 722 रकवा 0.20 हेक्टयर, 781 रकवा 0.05 हेक्टयर, 787 रकवा 0.04 हेक्टयर, 790 रकवा 0.27 हेक्टयर, 827 रकवा 0.23 हेक्टयर, 846 रकवा 0.06 हेक्टयर, 862 रकवा 0.15 हेक्टयर कुल किता 38 कुल रकवा 10.59 हेक्टयर स्थित ग्राम पेचला तहसील टोडाभीम मे स्थित है। हाल रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे हरिया पुत्र बादाम तथा बल्ले पुत्र बादाम हिस्सा 1/8 की खातेदारी दर्ज है जबकि सही नाम हरिराम पुत्र नादान तथा बलराम पुत्र नादान है।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

6

इस भूमि के भूप्रबंध से पूर्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2030–2037 मे वादी के पिता का नाम नादान पुत्र भम्भू दर्ज है जो सही दर्ज है तथा उसके बाद की जमाबंदी मे सम्वत् 2038–2014 तक मे नादान पुत्र भम्भू दर्ज है तथा ओवर राईटिंग करके काट छाट की गयी है। बाद की जमाबंदी मे हरिया पुत्र बादाम व बल्ले पुत्र बादाम कर दिया गया है। यह एक क्लैरिकल मिस्ट्रेक है जबकि हरिराम पुत्र नादान व बलराम पुत्र नादान ही रिकार्ड जमाबंदी मे होना चाहिये तथा वादीगण अपना सही नाम रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज कराने का अधिकारी है। वादीगण के परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र मे सही नाम हरिराम पुत्र नादान व बलराम पुत्र नादान ही दर्ज है तथा बाप के परिचय पत्र मे नादान पुत्र भम्बू दर्ज है। यह वादपत्र इसी नाम दुरस्ती के संबंध मे प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी ने राजस्व कैम्प मोरडा मे नाम शुद्वीकरण के संबंध मे दिनांक 08.06.2016 को आवेदन दिया था लेकिन तहसीलदार जी टोडाभीम ने कहा कि उपजिला कलेक्टर टोडाभीम के यहा शुद्वीकरण करने का वादपत्र पेश करो तभी तुम्हारे नाम हो सकता है. इसलिये यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है तथा रिलिफ चाही है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी बाबत् इन्द्राज दुरस्ती रिकार्ड पेश कर निवेदन है कि उक्त भूमि मे दर्ज नाम हरिया पुत्र बादाम व बल्ले पुत्र बादाम के स्थान पर हरिराम पुत्र नादान तथा बलराम पुत्र नादान दर्ज किया जावे तथा वादी के हक मे डिग्रि प्रदान की जाये तथा तहसीलदार टोडाभीम को आदेश प्रदान किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे अमल करें।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर सम्मन प्रतिवादी जारी किये गये तथा प्रतिवादी तहसीलदार टोडाभीम की तरफ से जबाब दावा पेश किया। जमाबंदी सम्वत् 2030 से 2033 व 2038 से 2041 मे वादीगण के पिता का नाम नादान पुत्र भम्बू दर्ज है बाद मे नादान की जगह बादाम दर्ज हो गया है। जरिये नामान्तकण सं0 23 दिनांक 08.12.2004 से विरासत से वादीयो के नाम दर्ज हो गये है तथा वादीगण ने बहनो से हक त्याग इन्ही नामो से कराया है इसलिये दावा खारिज किया जावें। वादी ने एक आवेदन पत्र दिनांक 19.01.2017 को इस आशय का पेश किया कि यह वादपत्र नाम शुद्वी के संबंध मे है इसलिये तनकी व साक्ष्य बयान की आवश्यकता नही है। रेवन्यु रिकार्ड देखकर फैसला कर दिया जाये इसलिये वादपत्र मे दोनो पक्षो की साथ मे लेकर सुनी गई।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन मे हाल नकल जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073, नकल जमाबंदी सम्वत् 2030 से 2033, नकल जमाबंदी सम्वत् 2038 से 2041, नकल नामान्तकरण सं0 23 दिनांक 28.12.2004 तथा परिचय पत्र हरिराम, बलराम आधार कार्ड की नकले पेश की है तथा एक प्रार्थनापत्र केम्प मे रिकार्ड मे शुद्वी करने हेतु पेश किया यह मामला रिकार्ड मे दुरस्ती के संबंध मे है। भू प्रबंध से पूर्व जमाबंदी सम्वत् 2030 से 2033 मे वादी [redacted] के पिता का नाम भम्भू दर्ज है लेकिन मौजूदा जमाबंदी मे हरिया पुत्र बादाम व बल्ले पुत्र बादाम दर्ज है। वादी वकील ने बहस मे कथन किया कि साबिक रिकार्ड मे बल्दियत नादान दर्ज है जो साबिक रिकार्ड से पूर्णतः प्रमाणित है तथा रिकार्ड मे नाम दर्ज थे उसी नामो से रिलिज डीड बहनो से हुई है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण साबिक रिकार्ड से पिता का नाम नादान साबित होता है तथा बल्ले व हरिया सम्मानजनक नाम नही है इसलिये हरिया के स्थान पर हरिराम एवं बल्ले के स्थान पर सही नाम बलराम कराना चाहाता है।

उप जिला कलैक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

पुराने रिकार्ड व हाल रिकार्ड के अवलोकन से व परिचय पत्र व आधार कार्ड के अवलोकन से भी वादीगण का सही नाम दुरस्त किया जाना प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी बाबत् इन्द्राज दुरस्ती नाम डिग्रि किया जाकर भूमि खाता सं0 खाता सं0 89 मे वर्णित खसरा नं0 74/913 रकवा 0.12 हेक्टयर, 153 रकवा 0.02 हेक्टयर, 154 रकवा 0.02 हेक्टयर, 166 रकवा 0.04 हेक्टयर, 211 रकवा 0.55 हेक्टयर, 212 रकवा 0.13 हेक्टयर, 213 रकवा 0.48 हेक्टयर, 219 रकवा 0.02 हेक्टयर, 220 रकवा 0.02 हेक्टयर, 254 रकवा 0.01 हेक्टयर, 255 रकवा 0.19 हेक्टयर, 256 रकवा 0.38 हेक्टयर, 257 रकवा 0.49 हेक्टयर, 260 रकवा 0.34 हेक्टयर, 261 रकवा 0.34 हेक्टयर, 415 रकवा 1.05 हेक्टयर, 416 रकवा 0.60 हेक्टयर, 417 रकवा 1.84 हेक्टयर, 452 रकवा 0.17 हेक्टयर, 543 रकवा 0.35 हेक्टयर, 584 रकवा 0.09 हेक्टयर, 585 रकवा 0.47 हेक्टयर, 586 रकवा 0.09 हेक्टयर, 587 रकवा 0.06 हेक्टयर, 588 रकवा 0.03 हेक्टयर, 589 रकवा 0.14 हेक्टयर, 649 रकवा 0.14 हेक्टयर, 650 रकवा 0.45 हेक्टयर, 651 रकवा 0.33 हेक्टयर, 696 रकवा 0.20 हेक्टयर, 697 रकवा 0.43 हेक्टयर, 722 रकवा 0.20 हेक्टयर, 781 रकवा 0.05 हेक्टयर, 787 रकवा 0.04 हेक्टयर, 790 रकवा 0.27 हेक्टयर, 827 रकवा 0.23 हेक्टयर, 846 रकवा 0.06 हेक्टयर, 862 रकवा 0.15 हेक्टयर कुल किता 38 कुल रकवा 10.59 हेक्टयर स्थित ग्राम पेचला तहसील टोडाभीम मे वर्णित भूमि मे दर्ज नाम हरिया पुत्र बादाम के स्थान पर हरिराम पुत्र नादान, बल्ले पुत्र बादाम के स्थान पर बलराम पुत्र नादान दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा नायब तहसीलदार बालघाट को उक्त निर्णय की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावें। पर्चा डिग्रि फाईनल जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(जगदीश आर्य)
उप जिला कलैक्टर
टोडाभीम (करौली)
उपजिला कलेक्टर, टोडाभीम

Scanned by CamScanner